संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर अवस्थित फुड काउन्टरों के संचालन के लिए निविदा शर्तें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट स्थित मयूर रेस्तराँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर कुल चार फुड काउन्टर्स् यथा 1) चाईनीज फुड काउन्टर, (2) आईसक्रीम फुड काउन्टर, (3) सामान्य स्नैक्स फुड काउन्टर तथा (4) साउथ इंडियन फुड काउन्टर वर्त्तमान में अवस्थित हैं। इन सभी फुड काउन्टरों को एक ही इकाई (यूनिट) में परिवर्तित कर 'फुड काउन्टर' के रूप में नामित करते हुए इन काउन्टरों पर विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि की बिक्री एवं संचालन के लिए विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदायें निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना के पदनाम से दिनांक 14–09–2018 के 2.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा निविदाकर्त्ताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय यदि कोई निविदाकर्त्ता / उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा।

2. निविदा के निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों की प्रति निदेशक के कार्यालय से रूपये 2000/– (दो हजार) प्रति की दर से कार्यावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों को वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित करते हैं, उन्हें निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में 2000/– (दो हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक/डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में एवं पटना में भुगतेय होगा।

3. निविदाकर्त्ता निर्धारित प्रपत्र में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफों में उसपर तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड जो भी हो, लिखेंगे तथा उसे सीलबंद कर अपना नाम, पता लिखेंगे। पुनः उन दोनों लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) को एक मुख्य बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर उसपर भी अपना नाम, पता लिखेंगे और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर निविदा बक्सा में डालेंगे। निविदाकर्त्ता मुख्य बड़े लिफाफे में "फुड काउन्टर के लिये निविदा" अवश्य अंकित करेंगे।

4. निविदा अवधि दिनांक **01–10–2018 से 30–09–2020** (दो वर्षों) तक के लिए होगी।

5. निविदाकर्त्ता अपनी निविदा के साथ रूपये 50,000/– (रू० पचास हजार) की सत्यंकार राशि जमा करेंगे। यह सत्यंकार राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में एवं पटना में भुगतेय होना चाहिये। तकनीकी बिड के साथ सत्यंकार राशि नहीं रहने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। सफल निविदाकर्त्ता द्वारा जमानत/प्रतिभूति राशि जमा करने तथा एकरारनामा के उपरांत ही इसे लौटाया जायेगा। कंडिका–12 एवं 13 का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में इसे राज्यसात कर लिया जायेगा।

6. निविदाकर्त्ता को कम से कम दो वर्षों या अधिक का विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। राज्य या केन्द्रीय उपक्रम में संचालन का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जायेगी। यदि किसी फर्म के नाम पर निविदा समर्पित किया जाता है तो फर्म के द्वारा निविदाकर्त्ता को प्राधिकृत किया जाना आवश्यक होगा। निविदाकर्त्ता इस प्राधिकार–पत्र को तकनीकी बिड के साथ मूलरूप में समर्पित करेंगे।

कृ०पृ०उ०

7. निविदाकर्त्ता को ESI & EPF से निबंधित होना चाहिए। निविदाकर्त्ता अपनी निविदा के साथ **विगत वर्ष का वार्षिक रिटर्न** की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

8. निविदाकर्त्ता को FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) से निबंधित होना चाहिए। निविदाकर्त्ता अपनी निविदा के साथ FSSAI से निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

9. निविदाकर्त्ता को Service Tax का निबंधन होना चाहिए। निविदाकर्त्ता अपनी निविदा के साथ Service Tax निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

10. निविदाकर्त्ता को **तकनीकी बिड** के साथ निम्नांकित कागजातों को समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

- (I) निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रमाण (रसीद की छायाप्रति)
- (II) यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में रू० 2000/– (दो हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट।
- (III) सत्यंकार राशि के रूप में रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक/डिमांड ड्राफ्ट।
- (IV) ESI & EPF से निबंधन तथा विगत वार्षिक रिटर्न का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। **(*)**
- (V) FSSAI से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। **(*)**
- (VI) G.S.T. से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। **(*)**
- (VII) पैन/टैन के निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदाकर्त्ता विगत दो वर्षों (वर्ष 2016–17 एवं 2017–18) का आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। **(*)**
- (VIII) निविदाकर्त्ता द्वारा अद्यतन वार्षिक जी०एस०टी० रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। **(*)**
- (IX) पहचान–पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (X) निविदा समर्पित करने के लिए योग्यता एवं रूपरेखा अर्थात् अनुभव, वर्त्तमान् में कहाँ और किस प्रकार के विधिवत निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर के संचालक हैं और कबसे संचालित कर रहे हैं और उनके होटल/ रेस्तराँ/ फुड काउन्टर में कौन–कौन सी सामग्री बेची जा रही है, इत्यादि से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा **जैविक उद्यान में फुड काउन्टर संचालन के संबंध में एक विस्तृत योजना** समर्पित करना आवश्यक होगा। उक्त प्रतिवेदन निविदा अभिलेखों के अंश माने जायेंगे। जैविक उद्यान के प्रसंगिक चार फुड काउन्टर, जो एक इकाई मान कर निविदा आमंत्रित की गई है, में **बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों की पृथक–पृथक सूची उपरोक्त प्रतिवेदन में अवश्य शामिल करना होगा।(*)**
- (XI) निविदाकर्त्ता के द्वारा संचालित विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ / निबंधित फुड कान्टर का वार्षिक टर्नओवर कम से कम 10.00 लाख (दस लाख) रूपया होना चाहिए जिससे संबंधित खाद्य संरक्षा विभाग, बिहार सरकार से पंजीकरण का प्रमाण–पत्र/लाईसेंस की स्वःहस्ताक्षरित प्रति देंगे।

कृ०पृ०उ०

(XII) फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र की मूलप्रति।

(XIII) सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्त्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा–पत्र।

नोटः– (*) निविदा खोलने के समय स्वःहस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित छायाप्रति की मूलप्रति निविदाकर्त्ता को दिखाना होगा। अन्यथा तकनीकी बिड को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

11. निविदाकर्त्ता **वित्तीय बिड** में चारों काउन्टरों (एक इकाई) के लिए प्रतिमाह उद्यान को दी जाने वाली राशि अंक एवं शब्द दोनों में साफ–साफ लिखेंगे। यदि किसी विशेष परिस्थितिवश निविदाकर्त्ता द्वारा राशि को बदला जाता है तो पूर्व में अंकित राशि को हस्ताक्षर सहित पेन (कलम) से एक बार में काटकर पुनः साफ–साफ अंक एवं शब्द में लिख सकते हैं, परन्तु किसी भी परिस्थिति में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। **चारो फुड काउन्टरों को एक ही इकाई मानकर एक ही दर अंकित करेंगे।** एक से अधिक दर अंकित करने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

12. सफल निविदाकर्त्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर रू० 1000/– (एक हजार रूपये) के नन्–जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वंय लाकर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा।

13. निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर जमानत की राशि के रूप में निविदा राशि की वार्षिक राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमा करना होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर० अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में होगा एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में प्लेज्ड होना चाहिए।

14. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि (मासिक रेंट) जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदाकर्त्ता को उक्त स्टॉल के संचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्त्ता जमानत की राशि तथा एक माह का अग्रिम राशि निर्धारित समय तक जमा करने एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन/सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

15. निविदाकर्त्ता को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम रेंट जमा करना होगा। 10 तारीख तक निर्धारित रेंट जमा नहीं करने की स्थिति में 3% वृध्यात्मक शुल्क जोड़ कर भुगतान करना होगा। लगातार 03 (तीन) माह तक रेंट (3% वृध्यात्मक शुल्क सहित) जमा नहीं करने पर अगले माह जमानत की राशि राज्यसात करने तथा निविदा रद्द करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

16. सफल निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा अवधि (दो वर्षों) के बीच में इस निविदा शर्त्तों के अतिरिक्त बिना कोई ठोस कारण के आवंटन रद्द करने तथा संचालन करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि निविदाकर्त्ता/संचालक द्वारा निविदा अवधि में स्टॉल संचालन करने से इंकार किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में दुकान संचालक को कम से कम दो माह का पूर्व/अग्रिम सूचना निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को देना बाध्यकारी होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि की विमुक्ति पर निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अन्तिम होगा तथा संबंधित संचालक को मान्य होगा।

कृ०पृ०उ०